E-Mail

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./169/2020-326

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, गया।

पटना 14, दिनांक– 04/05/2023

विषय – बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज–डुमरॉव (201.665–245.665 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.01 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/46901/2020/1078 दिनांक 28.04.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 41.01 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A में 1–7 शर्तें तथा भाग–B में 1–10 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 1,37,08,460/– (रूपये एक करोड़ सैतीस लाख आठ हजार चार सौ साठ) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 18.87 हे० वन भूमि के लिये रू0 9,57,780/– प्रति हे० के दर से रू० 1,80,73,309/– एवं परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 22.14 हे० वन भूमि के लिये रू० 13,57,110/– प्रति हे० के दर से रू० 3,00,46,415/– अर्थात कुल रू० 4,81,19,724/– (रूपये चार करोड़ एकासी लाख उनीस हजार सात सौ चौबीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 6,18,28,184/– (रूपये छः करोड़ अठारह लाख अठाईस हजार एक सौ चौरासी) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–7 शर्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–10 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक– व.सं./166/2021–326 दिनांक– 04/05/2023

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास/भोजपुर/वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/वन्यप्राणी अंचल, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.05.23
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।